उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वै0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 15 फरवरी, 2019

## कार्यालय–ज्ञाप

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय लिया गया है। के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–29/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 द्वारा राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वाधीन समस्त आवासों, जिनका आवंटन अधीनस्थ कार्मिकों को किया जाता है, हेतु निर्धारित "फ्लैट रेन्ट" की दरों में "चार गुना वृद्धि" किये जाने के स्थान पर "दो गुनी वृद्धि" की जाय।

2. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। पूर्व निर्धारित शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 57 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner